"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2009—भाद्र 6, शक 1931

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2009

क्रमांक ई-7/22/2004/1/2.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01-07-2009 द्वारा श्री एन. के. असवाल, भा. प्र. से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल एवं परिवहन विभाग को दिनांक 06-07-2009 से 14-07-2009 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्री असवाल को दिनांक 15-07-2009 को एक दिवस का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2009

क्रमांक ई-7/7/2003/1/2.— श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से., आयुक्त, रायपुर सम्भाग, रायपुर को दिनांक 30-07-2009 से 01-08-2009 तक (3 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 02-08-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2009

क्र. 5478/1885/21-ब/छ. ग./2009.— राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री एम. एम. कारक, द्वारा तहसील पखांजूर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर से नोटरी के पद से त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 (क) के अंतर्गत उक्त नोटरी का नाम नोटरी रजिस्टर से हटाया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2009

क्रमांक एफ 1-5/2004/13/1.—इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/13/1/2007, दिनांक 29-06-2009 द्वारा श्री मनोज डे को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. छ. ग. शासन, ऊर्जा विभाग के पूर्व अधिसूचना क्रमांक 1115/ऊ. वि./2002, दिनांक 19-03-2002 के अनुसार छ. ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग केअध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों की सेवा शर्तों को अधिसूचित किया गया था. तत्पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 3452/स./ऊ. वि./2002, दिनांक 07-09-2002 द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना के प्रावधान 1 (अ) में संशोधन कर अध्यक्ष व सदस्य का वेतन संशोधित रूप में अधिसूचित किया गया है.

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय शासन के अधीन कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु दिनांक 01-01-2006 से छठवें वेतनमान की सिफारिशें लागू होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 1-35/2004/13/1, दिनांक 24-12-2008 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य/सदस्यों हेतु वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्त नियम, 2003 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान का प्रावधान अधिसूचित किया गया है.

अत: श्री मनोज डे, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर को उक्त नियम, 2003 के तहत् अध्यक्ष को उल्लेखित वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें लागू होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबासीष दास, विशेष सचिव.

SCHEDULE

S. No.	Name of Post	Number of Post		Scale of Pay	Method of recruitment percentage of vacant post to be filled by direct recruitment or by promotion or by transfer and by different methods	Age limit Minimum/ Maximum	Prescribed Edu-cational qualifica-tion	Period of probation trial if any	Whether in the case of promotion prescribed limit age and educational qualification to the direct recruitment will be apply	In case of recruitment by promotion or transfer post from with promotion transfer made	Selection committee for direct recruitment and promotion	Remarks
		Directorate Office	Regional Office									
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Daftaries (Head Office/ Directorate)	01	0	Vetan Band 4750-7440 Grade pay 1400	100% by Promotion	-	8th Pass	2 year	Column No. 7 to 9	5 years continuous service	For all the post of Class-IV category : 1. Joint Director-Chairman 2. Joint Director-Member 3. Deputy Director-Member Secretary.	
2.	Peon	10	04	Vetan Band 4750-7440 Grade pay 1300	100% by Direct Recruitment	18 to 35	5th Pass	2 year	Column No. 7 to 9	5 years continuous service	Senior most Joint Director will be Chairman of the Committee. In case if a member is not nominated then the Commi-ssioner/Director shall nominate the names of the Officers who will not be below the rank of Dy. Director.	
3.	Chowkidar	01	02	—do—	—do—	—do—	—do—	—do—	—do—	—do—		

Note :- (1) To consider for promotion on the post of Daftari combined seniority list of Peon/Chowkidar shall be made and the name of employees in such seniority list shall be placed on the basis of officiating continuous service rendered by them on the lower posts.

(2) For promotion on the post of Daftari nominated Departmental promotional committee shall be constituted which shall be nominated by Joint Director.

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2009

क्रमांक एफ-4-42/2006/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 95 सहपठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची दो के सरल क्रमांक 3 (ग) के कॉलम 05 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा उर्दू एक विषय के साथ, या उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-माहिर प्रमाण-पत्र".

No. F-4-42/2006/18.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 58 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with Section 95 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby makes following amendment in the Chhattisgarh Nagarpalika Shiksha Karmi (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For the entries in column (5) against serial No. 3-C of Schedule-II, the following shall be substituted, namely :—

"Higher Secondary Certificate Examination with Urdu as a subject or Higher Secondary Certificate Examination and Adib-E-Mahir Certificate from Zamia Urdu, Aligarh."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमन्त पहारे, अतिरिक्त सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2009

क्रमांक एफ 5-23/2004/10-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 5-1/2009-एफ. सी दिनांक 28-04-2009 एवं 02-07-2009 में निहित निर्देशों एवं तद्विषयक मार्गदर्शी निर्देशों के परिपालन में, प्राकृतिक वनों के संरक्षण वन्य प्राणियों के प्रबंधन क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास एवं अन्य संबंधित कार्यों के प्रबंधन हेतु "राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण" (जिसे इसके बाद **राज्य कैम्पा** कहा जावेगा) का गठन करता है ।

प्रमुख उद्देश्य एवं मूल सिद्धान्तः— छत्तीसगढ़ प्राकृतिक वनों के संरक्षण वन्य प्राणियों के प्रबंधन क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास एवं अन्य संबंधित कार्यो के प्रबंधन हेतु "राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण" (जिसे इसके बाद राज्य कैम्पा कहा जावेगा) का गठन किया जाना आवश्यक है।

1— राज्य कैम्पा उपभोक्ता संस्थानों से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, दांडिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, समग्र प्रत्याशा मूल्य (एन.पी.व्ही) एवं केन्द्र सरकार द्वारा वन संरक्षण नियम 1980 के अधीन स्वीकृति प्रदान करते समय नियत की गई शर्तो के परिपालन में जमा की गई तथा वर्तमान में एड—हॉक कैम्पा के पास जमा समस्त राशियां प्राप्त करेगा।

2— राज्य कैम्पा एड—हॉक कैम्पा से प्राप्त राशि का संचालन करेगा और क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, प्राकृति सहाय पुनरूत्पादन, वनों के संरक्षण एवं सुरक्षा, संरचना, विकास, वन्य प्राणी संरक्षण तथा सुरक्षा एवं इससे संबंधित अन्य कार्यकलापों तथा अन्य संबंधित एवं आकस्मिक कार्यों में इस राशि का उपयोग करेगा।

3— राज्य कैम्पा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं समग्र प्रत्याशा मूल्य से संबंधित कोष के नियमाक संस्था के रूप में कार्य करेगा यह उपलब्ध कोष का इस हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों के अधीन वनों के संरक्षण सुरक्षा एवं प्रबंधन हेतु व्ययन करेगा। इस राशि का उपयोग वन्य प्राणी संरक्षण एवं उनके वास स्थलों के विकास हेतु भी किया जावेगा।

4— राज्य कैम्पा वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़े बहु स्तरीय राशि उपलब्ध कराने हेतु एक समग्र ढांचागत संस्था का कार्य करेगा। इसका प्राथमिक कार्य वन विभाग में प्राकृतिक वनों का पुनरूत्पादन एवं इस कार्य में जुड़ी संस्थाओं का निर्माण होगा, जिसमें विभिन्न स्तर के वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वन परिक्षेत्र स्तर पर प्रशिक्षण का समावेश होगा। इसके द्वारा प्राप्त राशियों के उपयोग से क्षेत्रीय कर्मचारियों के आवास भवनों का निर्माण तथा आवश्यक मशीनों एवं उपकरणों को उपलब्ध कराना भी होगा। इनमें कर्मचारियों के निरीक्षण एवं सुरक्षा कर्तव्य निर्वहन के समय यात्रा के उचित संसाधनों का प्रावधान भी सम्मिलित है। संक्षेप में वनों एवं वन्य प्राणी वास स्थलों के संरक्षण एवं पुर्नविकास हेतु विभाग का आधुनिकिकरण किया जावेगा।

5— राज्य कैम्पा अपने कोष के एक छोटे भाग को यदि शासकीय कर्मियों की कमी हो तो संविदा कर्मचारियों पर व्यय का निर्णय ले सकती है। यह राज्य शासन पर आवर्ती व्यय न पड़े इसे ध्यान में रखते हुए किया जावेगा। यह राज्य से संबंधित अन्य कार्यकलापों को भी मूल सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में सम्पादन कर सकती है।

6— राज्य कैम्पा युवा एवं विद्यार्थियों में वनों के संरक्षण गतिविधियों की सहायता हेतु वन विभाग की मदद हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं को भी प्रोत्साहित कर सकती है।

— **लक्ष्य एवं उद्देश्य**— राज्य कैम्पा **निम्नांकित कार्यो को प्रोत्साहन करेगी**:—

(क) वर्तमान में विद्यमान प्राकृति वनों के प्रबंधन, संरक्षण, सुरक्षा एवं पुर्नरूत्पादन

(ख) वन्य प्राणी समूह एवं संरक्षित क्षेत्रों तथा उनसे बाहर संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबंधन जिसमें संरक्षित क्षेत्रों का सुदृढ़िकरण सम्मिलित है।

(ग) क्षतिपूति वृक्षारोपण

(घ) पर्यावरण सेवा जिसमें सम्मिलित है —

(i) सामग्रियों का प्रावधान जैसे काष्ठ, अकाष्ठीय वनोपज, ईधन, चारा तथा जल, सेवाएं जिनमें पशु चराई, पर्यटन, वन्य प्राणी संरक्षण तथा जीवन सहायक सेवाओं का प्रावधान।

(ii) नियामक सेवायें, यथा जलवायु नियमक, बीमारी नियंत्रण, डिटाक्सिफिकेशन, कार्बन अवशोषण तथा मृदा, वायु एवं जल चक्र नियंत्रण

(iii) परिस्थितिकीय तंत्र, आध्यात्मिक, मनोरंजक, सौन्दर्य शोभा, प्रेरणादायक, शैक्षणिक तथा प्रतीकात्मक, से प्राप्त होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ।

(iv) ऐसी अन्य सभी सेवाओं को सहायता देना जैसे परिस्थितकीय निर्माण सेवायें, जैव विविधता, पोषण चक्र तथा आधारभूत सुरक्षा।

(ण) अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण।

8 **राज्य कैम्पा के कार्य निम्नानुसार होंगे**— (i) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तित वन भूमि के बदले किये जाने वाले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि आबंटन, संचालन एवं बढ़ावा देना।

(ii) इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित तथा वित्त पोषित वन क्षेत्रों में वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण तथा सुरक्षा कार्य का नियंत्रण।

(iii) संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु प्राप्त की गई राशि का पृथक लेखा संधारण।

(iv) कार्यक्रम में पारदर्शिता लाना तथा नागरिक सहयोग का निर्माण।

(v) कोष के 2 प्रतिशत राशि को नियंत्रण एवं मूल्यांकन हेतु सुरक्षित करना।

9. **राज्य कैम्पा की स्थापना**— (1) निम्नानुसार राशियां राज्य कैम्पा के कोष में जमा किए जावेंगे :

(i) राज्य कैम्पा द्वारा एड—हॉक कैम्पा से प्राप्त राशि।

(ii) उपभोक्ता संस्थानों से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, दांडिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, समग्र प्रत्याशा मूल्य (एन.पी.व्ही), जलग्रहण क्षेत्र उपचारण योजना अथवा केन्द्र सरकार द्वारा वन संरक्षण नियम 1980 के अधीन स्वीकृति प्रदान करते समय नियत की गई शर्तो के परिपालन में जमा की गई समस्त राशियां।

(iii) पूर्व में ही राज्य शासन द्वारा उपभोक्ता संस्थानों से वसूल की गई वे राशियां जो राज्य शासन द्वारा अभी तक एड—हॉक कैम्पा में जमा नही की गई हो।

(iv) वे सभी राशियां जो उपभोक्ता संस्थानों से संरक्षित वन क्षेत्र अर्थात् धारा 18, 26—A या 35, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (क्रमांक 53, वर्ष 1972) के अधीन अधिसूचित वन क्षेत्र में व्यपवर्तन बाबद जैव विविधता तथा वन्य प्राणियों में संरक्षण संबंधी कार्यो के लिए वसूल की गई राशियों का अलग से संधारण किया जावेगा।

(v) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन तथा तद्विषय नियमों तथा दिशा निर्देशों के अंतर्गत एवं सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 29–10–2002 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता संस्थानों से वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के संबंध में प्राप्त की गई समग्र प्रत्याशा मूल्य (एन.पी.व्ही)।

(2) राज्य शासन इस कोष में निम्न राशियां भी जमा कर सकेगी:

(क) आबंटन या सहायता (यदि कोई हो) द्वारा प्राप्त,

(ख) प्राधिकरण द्वारा लिये गये ऋण या प्राप्त की गई उधार राशि,

(ग) प्राधिकरण द्वारा दान, उपहार अथवा मूल्य संवर्धन द्वारा प्राप्त अन्य राशियां।

(3) यह कोष राष्ट्रीयकृत बैंकों में ब्याज उत्पादक खातों में रखा जावेगा तथा समय–समय पर संचालन समिति द्वारा स्वीकृत की गई राशि कार्य आयोजना के कार्यों के सम्पादन हेतु आहरित किया जावेगा।

10– **धनराशि का उपयोग**– राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध राशि का उपयोग निम्नांकित कार्य सम्पादन में किया जावेगा –

(i) स्वीकृत वार्षिक कार्य आयोजना (ए.पी.ओ) के अनुसार वनों के संरक्षण एवं वन्य प्राणियों के प्रबंधन तथा विकास एवं रख–रखाव हेतु व्यय।

(ii) राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध कोष के निवेश से प्राप्त ब्याज की आय का एक भाग राज्य कैम्पा के प्रबंधन में आवर्ती एवं एक मुश्त व्यय जिसमें इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते सम्मिलित हैं, परन्तु इसमें वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18, 26 ए, 35 वन्य प्राणी अधिनियम, 1972 में अधिसूचित वन क्षेत्रों में व्यपवर्तन बाबद जैव विविधता एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु वसूल की गई राशियों का लेखा अलग से संधारण किया जावेगा।

(iii) कोष के अधिकतम 2 प्रतिशत राशि को नियंत्रण एवं मूल्यांकन हेतु व्यय की जावेगी।

(iv) वन संरक्षण से संबंधित अन्य योजनाओं पर व्यय।

11– **कोष का संवितरण** – (1) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, दांडिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, जलग्रहण क्षेत्र उपचारण योजना तथा किसी अन्य क्षेत्र विशेष से संबंधित योजनाओं के लिए प्राप्त की गई राशि का उपयोग राज्य द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र विशेष से संबंधित योजनाओं पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन प्रदाय की गई वन भूमि व्यपवर्तन पर लागू शर्तों के साथ की जा सकेगी।

(2) राशि प्राप्त होने के एक वर्ष अथवा दो उत्पादक सीजन की अवधि में राज्य कैम्पा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कोष में जमा राशि के बाबद वृक्षारोपण कार्य पूर्ण करेंगे।

(3) समग्र प्रत्याशा मूल्य के संबंध में प्राप्त राशि का उपयोग प्राकृतिक सहाय पुनरूत्पादान, वन प्रबंधन, संरक्षण, आधारभूत संरचनाओं के विकास, वन्य प्राणी संरक्षण एवं प्रबंधन, काष्ठ तथा वनोपज के उपयोग में कमी लाने वाली सामग्रियों के प्रदाय तथा तत्संबंधी अन्य सेवाओं के मद में किया जावेगा।

(4) माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आदेशों अथवा राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड के संरक्षित क्षेत्रों में वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता संस्थानों से वसूल की गई राशि का पृथक कोष होगा और इसका उपयोग केवल राज्य के संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी कार्यक्लापों में किया जावेगा।

(5) राज्य कैम्पा स्वीकृत वार्षिक कार्य आयोजना के अनुसार पूर्व निर्धारित किश्तों में राशि क्षेत्रीय अधिकारियों को विमुक्त करेगी।

12– राज्य कैम्पा के संगठन में एक **शासी निकाय**, एक **संचालन समिति** तथा एक **कार्यकारी समिति** होगी।

13 (1) – राज्य कैम्पा **के शासी निकाय में निम्न सम्मिलित होंगे:–**

(i)	माननीय मुख्य मंत्री	–	अध्यक्ष
(ii)	माननीय वन मंत्री	–	सदस्य
(iii)	माननीय वित्त मंत्री	–	सदस्य
(iv)	मुख्य सचिव	–	सदस्य
(v)	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव (वन)	–	सदस्य
(vi)	प्रमुख सचिव / सचिव (वित्त)	–	सदस्य
(vii)	सचिव, वन	–	सदस्य
(viii)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	–	सदस्य
(ix)	मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक	–	सदस्य
(x)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केम्पा)	–	सदस्य सचिव

शासी निकाय राज्य कैम्पा के लिए नीति निर्धारण करेगा तथा समय–समय पर कार्यो की समीक्षा करेगा ।

13 (2) – **संचालन समिति में निम्न सम्मिलित होंगे:–**

(i)	मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष
(ii)	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव (वन)	–	सदस्य
(iii)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	–	सदस्य
(iv)	प्रमुख सचिव / सचिव (वित्त)	–	सदस्य
(v)	सचिव, वन	–	सदस्य
(vi)	मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक	–	सदस्य
(vii)	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ	–	सदस्य
(viii)	केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	–	सदस्य
(ix)	दो गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा मनोनित प्रतिनिधि जिन्हे राज्य शासन द्वारा एक समय दो वर्ष के लिए मनोनित किया जावेगा ।	–	सदस्य
(x)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केम्पा)	–	सदस्य सचिव

13 (3) – **संचालन समिति का कार्य :–**

(i) राज्य कैम्पा के शीर्ष उद्देश्यों एवं मूल सिद्धांतों के अधीन शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति के नियमों एवं कार्य संबंधि प्रक्रिया का निर्धारण करेगी।

(ii) राज्य कैम्पा द्वारा विमुक्त किए गए राशियों के उपयोग की प्रगति की समीक्षा करेगी।

(iii) कार्यकारी समिति द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य आयोजना (ए.पी.ओ) को स्वीकृति देगी।

(iv) राज्य कैम्पा क ..र्षिक प्रतिवेदनों तथा अंकेक्षित लेखा की स्वीकृति देगी।

(v) अंतर्विभागीय सहयोग सुनिश्चित करेगी।

(vi) छः माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

14 (1) – **क्रियान्वयन समिति में निम्न सम्मिलित होंगे :–**

(i)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	–	अध्यक्ष
(ii)	मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक	–	सदस्य
(iii)	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ	–	सदस्य
(iv)	मुख्य वन संरक्षक (विकास)	–	सदस्य
(v)	मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)	–	सदस्य
(vi)	दो गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा मनोनित प्रतिनिधि जिन्हे राज्य शासन द्वारा एक समय दो वर्ष के लिए मनोनित किया जावेगा ।	–	सदस्य
(vii)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केम्पा)	–	सदस्य सचिव

(2) **क्रियान्वयन समिति का कार्य –** (i) संचालन समिति द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अधीन राज्य कैम्पा के प्रमुख उद्देश्यों एवं मूल सिद्धांतों को फलीभूत करने हेतु समस्त संभव उपाय करेगी।

(ii) सम्पूर्ण राज्य में विभिन्न गतिविधियों की मदवार कार्यकलाप एवं अनुमानित व्यय देते हुए वार्षिक कार्य आयोजना तैयार कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिसम्बर अंत तक पूर्व संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर संचालन समिति को राशि मुक्त करने की स्वीकृति प्राप्त करेगी।

(iii) राज्य कैम्पा द्वारा मुक्त की गई राशि से राज्य में कराए गए कार्यो के सम्पादन की देख–रेख करेगी एवं वर्ष में दो बार कार्यो की समीक्षा एवं मूल्यांकन रिपोर्ट संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी । समीक्षा एवं मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरांत ही अगली किश्त जारी की जावेगी ।

(iv) कोष की प्राप्तियों और व्यय के समुचित अंकेक्षण हेतु उत्तरदायी रहेगी।

(v) कार्य सम्पादन एजेंसी स्तर पर रख–रखाव के स्तर का निर्धारण करेगी।

(vi) संचालन समिति के समीक्षा एवं विचारण हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

(vii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए माह जून अंत तक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी।

15– **लेखा प्रक्रिया –**

(1) राज्य कैम्पा निर्धारित प्रपत्रों एवं अवधि में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपना आगामी वित्तीय वर्ष हेतु बजट जिसमें अनुमानित आय एवं व्यय दर्शाया गया हो तैयार करेगी।

(2) राज्य कैम्पा वार्षिक कार्य योजना (ए.पी.ओ) की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हेतु वित्तीय नियम एवं प्रक्रिया का संधारण करेगी।

(3) राज्य कैम्पा कोष का उचित लेखा एवं अन्य सम्यक अभिलेखों का संधारण करेगा तथा लेखा तथा महालेखकार, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लेखा का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी।

(4) राज्य कैम्पा के लेखा का अंकेक्षण महालेखाकार द्वारा उनके द्वारा निर्धारित अंतराल में किया जावेगा तथा इस अंकेक्षण हेतु महालेखाकार द्वारा निर्धारित शुल्क या व्यय उनको भुगतान योग्य होगा।

(5) महालेखाकार अथवा उनके द्वारा राज्य कैम्पा के लेखा के अंकेक्षण के संबंध में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के वही अधिकार होंगे जो महालेखाकार को सामान्यतः शासकीय लेखा के अंकेक्षण के समय होते हैं तथा महालेखाकार को लेखा संबंधी पुस्तकें, लेखा, संबंधित प्रमाणक तथा अन्य अभिलेख व कागजात मांगने एवं राज्य कैम्पा के कार्यालय के निरीक्षण के अधिकार होंगे।

(6) राज्य कैम्पा का लेखा, महालेखाकार अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षण रिपोर्ट द्वारा प्रमाणित तथा वार्षिक प्रतिवेदन कैम्पा द्वारा प्रति वर्ष राज्य शासन को, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार तथा एड–हॉक कैम्पा को भेजे जावेंगे।

(7) वार्षिक प्रतिवेदन में निम्नानुसार सम्मिलित होंगे।

(i) किये गये विभिन्न कार्यो एवं व्यय की गई राशि का विस्तृत विवरण।

(ii) विभिन्न श्रोतों से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि का विस्तृत विवरण।

(iii) अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्ज अन्य विशिष्ट टिप्पणी।

16– **कार्यो का मूल्यांकन एवं समीक्षा–** (1) राज्य को उपलब्ध कराए गए आबंटन से किए गए कार्यो के लगातार समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु एक स्वतंत्र व्यवस्था का विकास किया जावेगा तथा कोष के प्रभावी एवं उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इसका क्रियान्वयन किया जावेगा।

(2) राज्य कैम्पा को इसके कोष से सम्पादित कार्यो के निरीक्षण एवं वित्तीय अंकेक्षण का आदेश देने का अधिकार होगा।

(3) राज्य कैम्पा के कार्यकारी समिति यदि संतुष्ट है कि मुक्त किए गए आबंटन का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है, आबंटित राशि में से शेष राशि रोकने अथवा निलम्बित करने की शक्ति होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिन्ज, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2009

क्रमांक एफ 5-23/2004/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-23/2004/10-2 दिनांक 24 जुलाई, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिन्ज, अपर मुख्य सचिव.

(ii) The details of the amount received by the State CAMPA from various sources; and

(iii) The observations made in the audit report.

16. **Monitoring and Evaluation of the works-** (1) An independent system for concurrent monitoring and evaluation of the works implementation in the States utilizing the funds available shall be evolved and implemented to ensure effective and proper utilization of funds.

(2) The State CAMPA shall have the powers to order inspection and financial audit of works executed by utilizing its funds in the State.

(3) On being satisfied that the funds released are not being utilized properly, the Executive Committee of the State CAMPA shall have the power to withhold or suspend the release of remaining funds or part thereof.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SERJIUS MINJ, Additional Chief Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 4 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	पथरिया प. ह. नं. 34	124	0.320	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जिला रायपुर, छ. ग.	सिलवा एनीकट निर्माण हेतु.
			118	0.057		
			122/1	0.057		
		योग	3	0.434		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 7 अगस्त 2009

क्रमांक/1456/अ-82/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	सिब्दी प. ह. नं. 4	0.28	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	खरखरा मोहदीपाट बरबस माइनर एवं सिब्दी माइनर क्र. 1 हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मु. दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 अगस्त 2009

क्रमांक/01/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	नांदल प. ह. नं. 10	0.62	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	हेम्प व्यपवर्तन योजना में नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.